बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग।

<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक ....

एस0ओ0–................................./ बिहार राज्य के अन्तर्गत निजी सुरक्षा अभिकरण के विनियमन हेतु निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 (भारत सरकार का अधिनियम 29, 2005) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है :–

1– <u>संक्षिप्त नाम और प्रारंभ</u> :–

1. यह नियमावली बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2011 कहलाएगी।
2. यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2– <u>परिभाषा</u> :–

जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इन नियमों में :

(क) अधिनियम से अभिप्रेत है निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम–2005;

(ख) "अभिकरण" से अभिप्रेत है निजी सुरक्षा अभिकरण;

(ग) "नियंत्री पदाधिकारी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन घोषित नियंत्री पदाधिकारी;

(घ) "फारम" से अभिप्रेत है इस नियमावली के संलग्न फारम;

(ड़) "अनुज्ञप्ति" (लाइसेंस) से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति;

(च) इस नियमावली में अपरिभाषित लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में उनके लिए क्रमशः नियत हैं।

3– <u>नियंत्री प्राधिकार</u>:–

निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा–3 द्वारा प्रदत्त अधिकार के आलोक में बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियम 2011 के नियंत्री प्राधिकार संयुक्त सचिव या उनसे उच्च स्तर के पदाधिकारी, गृह विभाग होगें।

4– <u>अपीलीय प्राधिकार</u> :–

निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा–14 के आलोक में नियंत्रक प्राधिकार के आदेश के विरूद्ध अपील प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के समक्ष किया जा सकेगा। अपील करने की समयावधि अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार होगी।

5– आवेदकों के पूर्ववृत्त का सत्यापन :–

(1) प्रत्येक आवेदक नियंत्री प्राधिकारी को नई अनुज्ञप्ति जारी करने अथवा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन करते समय अपने पूर्ववृत्त के सत्यापन हेतु फारम–I संलग्न करेगा। यदि आवेदक कंपनी, फर्म अथवा व्यक्तियों का संघ हो तो प्रत्येक स्वत्वधारी, बहुसंख्यक शेयर–धारक, भागीदार अथवा कम्पनी के निदेशक आवेदन के साथ फारम– I संलग्न करेंगे मानो कि वे भी आवेदक हैं।

(2) आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् नियंत्री पदाधिकारी आवेदन के ब्यौरे तथा आवेदक के संबंध में दिए गए विषय वस्तु का यथोचित सत्यापन तथा जांच करेंगे।

(3) नियंत्री प्राधिकारी उस जिला के जिला पुलिस अधीक्षक के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा जहाँ निजी सुरक्षा अभिकरण कार्य संचालित करने जा रही हो। इस प्रयोजन के लिए नियंत्री प्राधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक को अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की प्रति सभी अनुलग्नकों सहित भेजेगा ताकि जिला पुलिस अधीक्षक इनका सत्यापन कर अपना प्रतिवेदन भेज सकें।

(4) जिला पुलिस अधीक्षक प्रत्येक व्यक्ति जिसके नाम पूर्व वृत्त का फारम भरा गया है, के पूर्व वृत्त का सत्यापन कराने के साथ–साथ निम्नलिखित सूचना भी प्रस्तुत करेंगे :–

(i) क्या आवेदक अथवा कंपनी ने या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य की भागीदारी में किसी निजी सुरक्षा अभिकरण पूर्व में संचालित किया है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा और

(ii) क्या आवेदक को निजी सुरक्षा अभिकरण चलाने हेतु कोई विशेष अर्हता, प्रशिक्षण अथवा अनुभव प्राप्त है, जिससे उसे निजी सुरक्षा अभिकरण चलाने में सुविधा मिल सके।

6–निजी सुरक्षा गार्डों एवं पर्यवेक्षकों के आचरण और पूर्ववृत का सत्यापन

निजी सुरक्षा अभिकरण का यह कर्तव्य होगा कि किसी सुरक्षागार्ड अथवा पर्यवेक्षक को नियुक्त करने के पूर्व वह निम्नलिखित में से किसी एक अथवा अधिक माध्यम के अनुसार उस व्यक्ति के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का जाँच कर संतुष्ट हो ले :–

(क) अभिकरण व्यक्ति के आचरण एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन स्वयं करे।

(ख) अभिकरण व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आचरण एवं पूर्ववृत्त प्रमाण पत्र पर जो विहित है, निर्भर कर सकेगी, बशर्ते वह विधिमान्य हो और अभिकरण के पास किसी अन्य स्रोत से व्यक्ति के चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं हो।

(ग) जिला पुलिस अधीक्षक अथवा जिला पुलिस अधीक्षक के प्राधिकार के अधीन किसी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अथवा समकक्ष अथवा उच्च पद वाले पदाधिकारी से प्राप्त चरित्र तथा पूर्ववृत्त रिपोर्ट पर अभिकरण भरोसा कर सकेगी।

(2) निजी सुरक्षा गार्ड अथवा पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित होने अथवां काम पर लगने के लिए इच्छुक व्यक्ति अभिकरण के समक्ष फारम II प्रस्तुत करेगा। यदि व्यक्ति पिछले पाँच वर्षों के दौरान एक से अधिक जिलों में रहा हो तो फारम की संख्या–उतनी होगी जितनी जिलों की संख्या होगी।

(3) अभिकरण भरी गई विशिष्टयों की जाँच स्वयं करेगी अथवा संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को फारम भेजकर करवाएगी।

(4) चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन हेतु अभिकरण फारम X में जिला पुलिस अधीक्षक को आवेदन करेगी तथा जिला पुलिस अधीक्षक को उक्त सत्यापन हेतु सेवा शुल्क के रूप में 100/– रुपये का भुगतान करेगी। यदि व्यक्ति पिछले पाँच वर्षों में एक से अधिक जिलों में रहा हो तो अभिकरण सभी जिलों को शुल्क अदा करेगी।

(5) पुलिस व्यक्ति की पहचान स्थापित करेगी तथा व्यक्ति जिस इलाके में रहने का दावा किया हो अथवा रह रहा हो का दौरा कर तथा इलाके के गणमान्य निवासियों से उसकी पहचान तथा ख्याति का पता लगाकर उसके आचरण और पूर्ववृत्त को सत्यापित करेगी। चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट तैयार करने के पूर्व वे संबद्ध पुलिस स्टेशन का अभिलेख तथा जिला पुलिस मुख्यालय के अभिलेखों को भी देख लेंगे। इस रिपोर्ट में चरित्र एवं पूर्ववृत्त से संबंधित फारम में व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्येक दावा पर पुलिस का मंतव्य होगा तथा सत्यापन अवधि में आजीविका के साधन सहित उसके क्रियाकलापों के बारे में सामान्य रिपोर्ट भी होगा। पुलिस विनिर्दिष्टतः यह उल्लेख भी करेगी कि किसी समय उस व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं हुआ है अथवा उसे कभी कारावास की सजा से दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष तो ठहराया नहीं गया है।

(6) पुलिस विनिर्दिष्टतः यह मंतव्य देगी कि निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा सत्यापन किए जानेवाले व्यक्ति को काम पर लेने अथवा नियोजित करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा तो नहीं होगा।

(7) पुलिस प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त फारम प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर उसका सत्यापन रिपोर्ट निर्गत हो जाय।

(8) व्यक्ति के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस का रिपोर्ट गोपनीय कोटि का होगा। यह चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में अनुरोध करने वाली निजी सुरक्षा अभिकरण के अभिहित पदाधिकारी के नाम से संबोधित लिफाफा में भेजी जाएगी।

(9) चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन रिपोर्ट एक बार निर्गत हो जाने पर तीन वर्षों तक वैध रहेगी।

(10) पुलिस सत्यापन के आधार पर और अपने सत्यापन के आधार पर निजी अभिकरण फारम III में एक चरित्र प्रमाण–पत्र निर्गत करेगी और यदि वह व्यक्ति अभिकरण का कर्मचारी न रह जाए तो भी यह प्रमाण–पत्र निजी अभिकरण द्वारा वापस नहीं ली जाएगी।

(11) अपने निजी सुरक्षागार्डों एवं पर्यवेक्षकों का चरित्र तथा पूर्ववृत्त प्रमाण पत्र स्वयं देनेवाली निजी सुरक्षा अभिकरण ऐसे चरित्र तथा पूर्ववृत्त प्रमाण पत्र के लिए उत्तरदायी होगी। यदि बाद में ऐसे निजी सुरक्षा गार्डों एवं निजी पर्यवेक्षकों के आचरण तथा पूर्ववृत्त संदिग्ध पाए जाते हों तो संबंध सुरक्षा अभिकरण की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी, 50,000/– रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा अथवा आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा अथवा उसे दोनों दंड दिया जा सकेगा।

7– प्रशिक्षण :–

(1) नियंत्री प्राधिकारी निजी सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगा। यह प्रशिक्षण कम से कम बीस कार्य दिवसों में न्यूनतम सौ घंटे का कक्षा (क्लास रुम) शिक्षण का तथा साठ घंटे क्षेत्र प्रशिक्षण का होगा। किन्तु भूतपूर्व सैनिकों एवं पूर्व पुलिस कर्मियों को मात्र संक्षिप्त पाठ्यक्रम में ही भाग लेना होगा, जिसमें कम से कम सात दिनों में न्यूनतम चालीस घंटे का कक्षा शिक्षण तथा सोलह घंटे का क्षेत्र प्रशिक्षण होगा।

(2) प्रशिक्षण में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, यथा :–

(क) लोकाचार और सही वर्दी धारण ;

(ख) शारीरिक स्वस्थता प्रशिक्षण;

(ग) शारीरिक सुरक्षा, आस्तियों की सुरक्षा, भवन अथवा अपार्टमेंट की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, घरेलू सुरक्षा;

(घ) अग्निशमन;

(ड़) भीड़ नियंत्रण;

(च) परिचय पत्र, पासपोर्ट एवं स्मार्ट कार्ड सहित पहचान पत्रों की जांच करना;

(छ) अंग्रेजी वर्णमाला तथा अरबी अंकों को पढ़ने और समझने की समर्थता, जिसका उपयोग पहचान–कागजात, सुरक्षा जांच शीट आदि में सामान्यतः होता है;

(ज) उन्नत विस्फोटक साधनों की पहचान;

(झ) प्राथमिक उपचार;

(ट) संकटकालीन प्रतिक्रिया तथा आपदा प्रबंधन;

(ठ) सुरक्षात्मक वाहन चालन (बख्तर बंद वाहन चालक के लिए अनिवार्य तथा अन्य के लिए ऐच्छिक);

(ड) अवर्जित हथियारों और आग्नेयास्त्रों को संभालना एवं उनका प्रचालन (ऐच्छिक);

(ढ) भारतीय दंड संहिता, निजी सुरक्षा का अधिकार, पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया, आयुध अधिनियम (केवल प्रवृत्त धाराएं) विस्फोटक अधिनियम (प्रभावी धाराओं) का प्राथमिक ज्ञान;

(ण) पुलिस और सैन्य बलों में रैंक के बैज;

(प) जनता और पुलिस द्वारा उपयोग में लाए जानेवाले विभिन्न प्रकार के आयुधों की पहचान;

(फ) सुरक्षा उपकरणों एवं साधनों का उपयोग (उदाहरणार्थ, सुरक्षा अलार्म और छानबीन करने के उपकरण) और

(ब) नेतृत्व और प्रबंधन (केवल पर्यवेक्षकों के लिए)

(3) सभी निजी सुरक्षा अभिकरण अपने निजी सुरक्षा गार्डों / पर्यवेक्षकों को उपर्युक्त कंडिका–5 (2) में वर्णित विषयों का प्रशिक्षण दिलाने हेतु सक्षम प्रशिक्षण संस्थान का चयन

स्वयं करेंगे एवं उसका नाम तथा पते का उल्लेख फारम– V के कंडिका–14 में करेंगे, परन्तु वह प्रशिक्षण संस्थान, बिहार में ही अवस्थित होने चाहिए।

(4) नियंत्री प्राधिकारी निजी सुरक्षा अभिकरण के आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रशिक्षण संस्थान में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं तथा प्रशिक्षण देने की उनकी सक्षमता की जाँच स्वयं या अपने पदाधिकारियों के माध्यम से कराने के उपरान्त संतुष्ट होने के बाद ही अनुज्ञप्ति निर्गत करेगा।

(5) निजी सुरक्षा गार्ड को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रत्येक सफल प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण संस्थान अथवा संगठन द्वारा फारम– IV में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।

(6) सक्षम प्राधिकारी समय–समय पर स्वयं अथवा अपने पदाधिकारियों के माध्यम से प्रशिक्षण सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे। सामान्यतः ऐसा निरीक्षण हर वर्ष कम से कम दो बार किया जाएगा।

(7) सभी निजी अभिकरण नियंत्री प्राधिकारी को उसके द्वारा विहित रीति से, सफल प्रशिक्षणार्थियों की सूची समर्पित करेंगी।

8– निजी सुरक्षा गार्डों की शारीरिक योग्यता का मानक :–

(1) कोई व्यक्ति निजी सुरक्षा गार्ड में कार्य करने अथवा नियोजित होने का पात्र तभी होगा जब वह यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित शारीरिक योग्यता के मानकों को पूरा करता हो :–

(i) ऊँचाई 160 से॰ मी॰ (महिला के लिए 150 से॰ मी॰) ऊँचाई तथा वजन की मानक सारणी के अनुसार वजन, छाती 80 से॰ मी॰ फुलाने पर 4 से॰ मी॰ अधिक (महिला के लिए छाती की कोई न्यूनतम माप अपेक्षित नहीं)

(ii) दृष्टिशक्ति –दूर दृष्टि 6/6, निकट दृष्टि 0.6/0.6 शुद्धि के बिना अथवा शुद्धि के साथ, वर्णान्धता से मुक्त, सुरक्षा उपकरण में प्रदर्शित रंग की पहचान करने तथा अंग्रेजी वर्णमाला एवं अरबी अंकों को पढ़ने और समझने में समर्थ हो।

(iii) घुटने की खटखटाहट (संहृत जानुक) एवं सपाट पैर से मुक्त तथा छह मिनट में एक किलोमीटर दौड़ने में समर्थ हो।

(iv) श्रवण शक्ति–दोष मुक्त, आवाज तथा सुरक्षा उपकरणों द्वारा बजे खतरे की घंटी को सुनने एवं प्रतिक्रिया दर्शाने में समर्थ हो।

(v) अभ्यर्थी तलाशी लेने, वस्तुओं का व्यवहार करने तथा आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तियों को अवरुद्ध करने के लिए बल प्रयोग करने की दक्षता शक्ति रखता हो।

2. अभ्यर्थी को संक्रामक या छुआछूत वाला रोग न हो। वह ऐसी किसी बीमारी से पीड़ित न हो जिसकी सेवा से बढ़ जाने की संभावना हो अथवा जिसके कारण उसे अस्वस्थ घोषित कर दिया जा सके अथवा जो लोक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो।

3. निजी अभिकरण यह सुनिश्चित करेगी कि उसके लिए कार्य करने वाला निजी सुरक्षा गार्ड की अंतिम शारीरिक जांच के हर बारह महीने के पश्चात् शारीरिक जांच की जाय ताकि उसका शारीरिक मानक प्रवेश के लिए यथाविहित शारीरिक मानक के अनुसार बना रहे।

9– <u>निजी पर्यवेक्षकों के लिए उपबंध :–</u>

(1) पन्द्रह से अनधिक निजी सुरक्षा गार्डों के कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु एक पर्यवेक्षक होगा।

(2) यदि निजी सुरक्षा गार्ड विभिन्न परिसरों में सुरक्षा कार्य कर रहे हों तथा एक पर्यवेक्षक द्वारा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना व्यवहार्य न हो तो अभिकरण अधिक संख्या में पर्यवेक्षकों को प्रतिनियुक्त करेगी ताकि प्रत्येक छह निजी सुरक्षागार्डों की सहायता, सलाह तथा पर्यवेक्षण के लिए कम से कम एक पर्यवेक्षक उपलब्ध रहे।

10– <u>अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन करने की रीति :–</u>

(1) अधिनियम की धारा 7 के खंड (1) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु अभिकरण द्वारा नियंत्री प्राधिकारी को हरेक आवेदन पत्र फारम V में विहित प्रारूप में दिया जाएगा।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट हरेक आवेदन पत्र के साथ धारा 7 के खंड (3) के अधीन यथाविहित शुल्क का भुगतान नियंत्री प्राधिकारी गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पदनाम में तथा भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा पटना में भुगतेय डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक लगाया जाएगा।

(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट हरेक आवेदन पत्र नियंत्री प्राधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा अथवा उन्हें निबंधित डाक से भेजा जाएगा।

(4) उप नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियंत्री प्राधिकारी उस पर प्राप्ति तारीख अंकित करने के बाद आवेदक को पावती देगा।

11– अनुज्ञप्ति की स्वीकृति :–

(1) नियंत्री प्राधिकारी नियम 8 के उप नियम (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् सारी औपचारिकताओं को पूरा करने तथा आवेदक की उपयुक्तता तथा आवेदित क्षेत्र में कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने की आवश्यकता के बारे में अपना समाधान कर लेने के पश्चात् निजी सुरक्षा अभिकरण को फारम– IV में अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा।

प्रारंभ में अनुज्ञप्ति 3 वर्षों के लिए वैध होगी।

(2) नियंत्री प्राधिकारी किसी निजी सुरक्षा अभिकरण के निजी सुरक्षा गार्डों एवं पर्यवेक्षकों को दिए गए प्रशिक्षण एवं हुनर का सत्यापन स्वयं अथवा अपने पदाधिकारियों के माध्यम से कर सकेगा।

(3) नियंत्री प्राधिकारी ऐसी सुरक्षा अभिकरण जिसने अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शर्तों का पालन नहीं किया हो कि अनुज्ञप्ति को जारी रखने अथवा अन्यथा की समीक्षा कर सकेगा।

यदि भविष्य में यह पाया जाता हो कि सुरक्षा अभिकरण ने अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने एवं उसके जारी रखने की शर्तों का पालन नहीं किया है तो नियंत्री प्राधिकारी अनुज्ञप्ति रद्द कर देगा।

12– अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शर्तें :–

(1) अनुज्ञप्तिधारी नियंत्री प्राधिकारी द्वारा यथा विहित निजी सुरक्षा सेवा से संबंधित प्रशिक्षण नियत समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त करेगा

(2) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के 15 दिनों के अंदर निजी अभिकरण बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, पत्राचार का पता तथा मुख्य पेशा, नियंत्री प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी निजी अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों के पता में किसी परिवर्तन, प्रबंधन में परिवर्तन की सूचना ऐसे परिवर्तन के सात दिनों के अंदर नियंत्री प्राधिकारी को देगा।

(4) अनुज्ञप्तिधारी निजी अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों अथवा निजी अभिकरण द्वारा रखे गये अथवा नियोजित निजी सुरक्षा गार्ड अथवा पर्यवेक्षक के विरुद्ध निजी सुरक्षा अभिकरण के रूप में कर्तव्यों के संपादन के दौरान लगाए गए किसी आपराधिक आरोप की सूचना नियंत्री प्राधिकारी को तुरत देगा। ऐसी संसूचना की एक प्रति उस पुलिस थाने के प्रभारी पदाधिकारी को भी भेजी जाएगी जहां आरोपित व्यक्ति रहता हो।

(5) हरेक अनुज्ञप्तिधारी निजी सुरक्षा गार्डों के लिए इस नियमावली में यथा विहित उन शारीरिक मानकों एवं उनके प्रशिक्षण की अपेक्षाओं का पालन करेगा जिनपर अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।

(6) ऐसे निजी गार्ड बिना हथियार के या अनुज्ञप्त हथियार लेकर चल सकते हैं। हथियार की अनुज्ञप्ति गार्ड के नाम से निर्गत होना अनिवार्य होगा।

(7) इस नियमावली में यथा उपबंधित के सिवाय अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए संदत्त शुल्क लौटाया नहीं जाएगा।

13– <u>अनुज्ञप्ति का नवीकरण :–</u>

(1) हरेक निजी अभिकरण अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु नियंत्री प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

(2) अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु प्रभार्य शुल्क वही होगा जो उसकी स्वीकृति के लिए प्रभार्य है।

14– <u>अनुज्ञप्ति नवीकरण की शर्तें :–</u>

अनुज्ञप्ति का नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किया जाएगा :–

(i) आवेदक अपने कारोबार का मुख्य स्थान नियंत्री प्राधिकार के क्षेत्राधिकार में बनाए रखे।

(ii) आवेदक अधिनियम की धारा–5 की की उपधारा (2) के अधीन अपने निजी सुरक्षा गार्डों एवं पर्यवेक्षकों के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करना जारी रखे।

(iii) आवेदक हमेशा अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करता रहे।

(iv) आवेदक को अनुज्ञप्ति के नवीकरण में पुलिस को कोई आपत्ति न हो।

(v) अनुज्ञप्ति नवीकरण का आवेदन का फारम वही होगा जो मूल अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का फारम है।

15– अपील और प्रक्रिया :–

(1) अधिनियम की धारा 14 की उप धारा (1) के अधीन हरेक अपील व्यथित व्यक्ति अथवा उसके प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित कर फार्म–VIII में की जाएगी **और प्राधिकृत पदाधिकारी को स्वयं दी जाएगी अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजी जाएगी।**

(2) अधिनियम की धारा 14 के अधीन व्यथित व्यक्ति अपील के लिए अपीलीय प्राधिकारी को शुल्क के रूप में 500 रुपया की राशि का भुगतान अपीलीय प्राधिकारी के नाम से भुगतेय बैंक ड्राफ्ट द्वारा करेगा।

16– अभिकरण द्वारा संधारित किया जानेवाला रजिस्टर :–

अधिनियम के अधीन अभिकरण द्वारा संधारित करने के लिए अपेक्षित रजिस्टर फारम viii में होगा।

17– फोटो पहचान पत्र :–

(1) निजी अभिकरण द्वारा धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन निर्गत हरेक फोटो पहचान पत्र फारम IX में होगा और यह आवरणरोधी होगा।

(2) फोटो पहचान पत्र पर निजी सुरक्षा गार्ड के पूरे चेहरे की रंगीन तस्वीर, पूरा नाम, अभिकरण का नाम तथा जिस व्यक्ति को फोटो पहचान पत्र जारी किया जाता हो उसकी पहचान संख्या होगी।

(3) फोटो पहचान पत्र निजी अभिकरण में व्यक्ति की हैसियत तथा फोटो पहचान पत्र की विधि मान्यता की तारीख को स्पष्ट रूप से इंगित करेगा।

(4) फोटो पहचान पत्र अद्यतन रखा जाएगा तथा विशिष्टियों में किसी प्रकार के परिवर्तन को उसमें दर्ज किया जाएगा।

(5) निजी सुरक्षा गार्ड को निर्गत फोटो पहचान पत्र इसे निर्गत करनेवाली अभिकरण में, यदि निजी सुरक्षा गार्ड काम पर न रह जाए अथवा नियोजित नहीं रह जाता हो तो उसे लौटा दिया जाएगा।

(6) फोटो पहचान पत्र के गुम हो जाने अथवा चोरी हो जाने पर उसकी सूचना तुरत निर्गत करनेवाली निजी अभिकरण को दी जाएगी।

18– अन्य शर्तें :–

(1) अपने निजी सुरक्षा गार्डों को कार्य के समय वर्दी पहनने के लिए निजी अभिकरण का आदेश हो अथवा नहीं, प्रत्येक निजी सुरक्षा अभिकरण अपने सुरक्षा गार्डों को निम्नलिखित वस्तुएं देगी और उनके लिए यह बाध्यकारी बनाएगी कि वे निम्नलिखित पहनें :–

(क) अभिकरण की पहचान का बाजूबंद बैज।

(ख) संगठन में उसकी हैसियत दर्शानेवाला कंधा अथवा छाती पर लगाया जानेवाला बैज।

(ग) डोरी से बंधी सीटी जो बायीं जेब में रखी जाएगी।

(घ) फीतेवाले जूते

(ङ) टोपी जिसमें अभिकरण का पहचान चिह्न भी हो,

(च) वर्दी का रंग और बैज ऐसा होगा कि वह सशस्त्र बलों, केन्द्रीय पुलिस अथवा राज्य पुलिस द्वारा पहनी जानेवाली वर्दी से मेल न खाए।

(2) सक्रिय कर्तव्य के समय निजी सुरक्षा गार्ड द्वारा पहनी जानेवाली वर्दी ऐसी हो कि उससे उसके कुशल कार्य संपादन में बाधा न हो। खासतौर पर वे न तो अधिक चुस्त हों और न अधिक ढीले जिससे कि अंगों के संचालन अथवा मोड़ने में बाधा हो।

(3) हरेक निजी सुरक्षा गार्ड अपने साथ एक नोटबुक तथा लेखनी रखेगा।

(4) हरेक निजी सुरक्षा गार्ड सक्रिया सुरक्षा कार्य करते समय अपने कमर के ऊपर धारा–17 के अधीन निर्गत फोटो पहचान पत्र सहज दृश्य रूप में लगाकर प्रदर्शित करेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सुनील कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

एस0ओ0:– जी0 / विविध–14 / 2005–1395 0 / पटना, दिनांक 22/9/2011

का अँग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा पारित किया जाता हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड–3 के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सुनील कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।